संख्या : एलएस/12/2026-अनुपालन प्रकोष्ठ-भाग(1)

भारत सरकार
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
भारत के प्रेस महापंजीयक का कार्यालय
9 वां तल, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स,
लोदी रोड, नई दिल्ली-110003

दिनांक : 05.06.2026

2026 की परामर्शिका संख्या-11

विषय : प्रेस और नियतकालिक पत्रिका रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2023 के अनुसार वार्षिक विवरण दाखिल न किए जाने पर शास्ति के संबंध में

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रेस और नियतकालिक पत्रिका रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2023 की धारा 7 के उपबंधों के अनुसार, प्रत्येक पंजीकृत नियतकालिक पत्रिका के संबंध में अपने लेखापरीक्षित वार्षिक विवरण को विहित समयावधि के भीतर प्रेस सेवा पोर्टल (पीएसपी) के माध्यम से ऑनलाइन दाखिल किया जाना अनिवार्य है।

2. इसके अतिरिक्त, उक्त अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (1)(ख) तथा (3) के उपबंधों के अनुसार, ऐसी नियतकालिक पत्रिका के प्रकाशक, जो धारा 12 के अंतर्गत अपेक्षित वार्षिक विवरण को उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से एक वर्ष के भीतर, जिसके संबंध में उक्त वार्षिक विवरण प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित था, प्रस्तुत करने में विफल रहता है, अधिनियम के अंतर्गत यथा विहित शास्ति अधिरोपित की जाएगी।

3. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अधिनियम की धारा 14(3) के अनुसार, वार्षिक विवरण दाखिल न किए जाने की स्थिति में अधिरोपित की जाने वाली शास्ति की राशि प्रथम चूक के लिए दस हजार रुपये (₹10,000) से कम नहीं होगी। प्रत्येक अनुवर्ती चूक के लिए पूर्ववर्ती चूक की राशि के दोगुने की दर से वर्धित शास्ति अधिरोपित की जाएगी (अर्थात् चूक के प्रत्येक अनुवर्ती वर्ष के लिए ₹20,000 तथा इसी प्रकार), जोअधिकतम सीमा दो लाख रुपये (₹2,00,000) होगी।

4. तदनुसार, एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उपर्युक्त उपबंधों के अनुसार, जिन प्रकाशकों ने **वित्तीय वर्ष 2024-25** के लिए वार्षिक विवरण दाखिल नहीं किया है, उन्हें उक्त वार्षिक विवरण **30.06.2026 को अथवा उससे पूर्व** दाखिल करने हेतु **अंतिम अवसर** प्रदान किया जाता है।

5. दिनांक **30.06.2026** के पश्चात समयावधि आगे विस्तारित नहीं की जाएगी। नियत तिथि तक वार्षिक विवरण दाखिल न किए जाने की स्थिति में प्रथम चूक के लिए अधिनियम में उल्लिखित उपबंधों के अनुसार ₹**10,000/- (केवल दस हजार रुपये)** की शास्ति अधिरोपित की जाएगी।

यह भारत के प्रेस महापंजीयक के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(पामुला रत्नाकर)
उप प्रेस महापंजीयक